(क) क्या सरकार को ‘जारवा-ए-नेग्रीटो’ जनजाति की शिकारियों को म्यांमार की इरावाडी नदी के आरक्षित जनजातीय इलाकों में प्रवेश करने से रोकने संबंधी भूमिका के बारे में जानकारी है जैसा कि हाल ही में अंडमान के तटीय सुरक्षा प्रमुख कृपा नौटियाल ने खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के ‘स्वदेशी’ तटीय सुरक्षा माध्यम को भविष्य में पेशेवर तरीके से उपयोग के लिए समुचित तरीके से विकसित किया जाएगा; और

(ग) चूंकि जारवा जनजाति के लोग व्यवहारिक रूप से मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं तो क्या उनके इस प्रभाव और उदाहरण का लाभ उठाकर अन्य ऐसी जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा के विस्तार के लिए शामिल किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) : जी, हां। ‘जारवाओं’ ने वर्ष 2005 में 16 बर्मी शिकारियों, वर्ष 2006 में 14 शिकारियों तथा 2009 में एक बर्मी शिकारी को पकड़ा था, जो मध्य अंडमान के जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में घुस गए थे। पकड़ने के बाद, जारवाओं ने शिकारियों को कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को सौंप दिया था।**

**(ख) एवं (ग) : जी नहीं, जारवा, शिकार करने की एवं जंगली खाद्य उत्पाद इकट्ठा करने वाली एक जनजाति है, जो अभी भी मुख्यत: जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के अन्दर रहते हैं तथा वर्ष 2004 की “अंडमान द्वीप समूह की जारवा जनजाति नीति” के अनुसार अंडमान एवं निकाबार प्रशासन कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपना रहा है।**